

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान

नाथुसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत निवासी मेवीकलां

बनाम

भवानीसिंह ,भैरूसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत निवासी मेवीकलां

दावा बाबत -बंटवारा राजकाशत अधि 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 05/16

निर्णय दिनांक :- 11/05/2016

वादी नाथुसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत निवासी मेवीकलां व प्रतिवादी भवानीसिंह ,भैरूसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत निवासी मेवीकलां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/05/2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

नाथुसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत सा. मेवी कलां खातेदार के नाम ग्राम कोलर पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 879/1 रकबा 0.50 किस्म बा.दो , लगान 2.50 एवं भवानीसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत सा. मेवी कलां खातेदार के नाम ग्राम कोलर पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 879/2 रकबा 0.50 किस्म बा.दो लगान 2.50 एवं भैरूसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपुत सा. मेवी कलां खातेदार के नाम ग्राम कोलर पटवार वृत्त मगरतलाव तहसील देसूरी के ख.न. 879 रकबा 0.50 किस्म बा.दो लगान 2.50 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 11/05/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
प्रभारी अधिकारी लोक अदालत/कैम्प
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर देसूरी
दिनांक

क्रमांक/शिविर/2016/
प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
प्रभारी अधिकारी लोक अदालत/कैम्प
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
एवं पदेन सहा.कलेक्टर